हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
बनाम
मु. सं.

रामकेश बनाम पून्या(दावा)
मु.नं. 12/2024

दिनांकः 31.07.2024

आज प्त्रावली पेश हुई। वक़ील वादी उपस्थित। वकील वादी के वादपत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि ग्राम हॉसिलपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नमबर 129 रकबा 0.45 हैक्टर पर हिस्सानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सवं. 1 व 2 राजस्व रिकार्ड में हिस्सा अनुसार दर्ज है। वादी का हिस्सा 2/3 है जिंसे वादी ने कई वर्ष पूर्व क्रय किया था और कब्ज़ा अनुसार बाउंण्ड्रीवाल कर कमरा बना रखा है जिसे उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है लेकिन प्रतिवादीगण ने कानूनी बंटवारा कराने एवं कन्वर्ट कराने की साफ इन्कार कर दिया। इसलिये यह दावा वादी विरुद्व प्रतिवादीगणं पेश करनां आवश्यक हुआ।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी ने अपने समर्थन में शपथ पत्र पेश किया। वादी का वादपत्र प्राथमिक रुप से डिक्री किया जाकर दिनांक 22.05.2024 को विधिवत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार महवा द्वारा दिनांक 24.07.2024 को बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत की।

हमने वकील वादी की बंटवारा स्कीम पर बहस सुनी एवं पत्रावंली पर उपलब्ध्य रिकार्ड का अवलोकन किया। अतः तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम के आधार पर बादी का वादपत्र अंतिम रुप से निम्नानुसार डिक्री किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

CamScanner